संख्या:232/2021/1991/35-4-2021

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बाराबंकी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 19 नवम्बर, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद-बाराबंकी में निम्नलिखित कार्यों की रू. 264.70 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 258.84 लाख (रूपये दो करोड़ अट्ठावन लाख चौरासी हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों के लिये ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग कार्यदायी संस्था होगी:-

(लाख रू. में)

	कार्य	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
1	ग्राम पंचायत प्यारेरेपुर में फतेहपुर-तिलोकपुर मार्ग पर बुल्ला बेडिया के घर से लक्ष्मी नरायण मन्दिर तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य तथा 15 र0मी0 यूटाइप ड्रेन का निर्माण कार्य।	170	9.76	9.76
2	ग्राम पंचायत चन्दनापुर में सीधे वीर बाबा स्थल से भुइहारे बाबा साधारणपुर मार्ग तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य तथा 30र0मी0 यूटाइप ड्रेन का निर्माण कार्य।	195	11.43	11.43
3	ग्राम पंचायत कुरथरा में इन्द्रेश मास्टर के घर से हनोमान के घर तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	60	3.39	3.39
4	ग्राम पंचायत कुरथरा में कटुई बाग सम्पर्क मार्ग से सुन्दर यादव के घर होते हुए बाबापुरवा सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	122	6.67	6.67
5	ग्राम पंचायत तिलोकपुर में जैन मन्दिर से शरीफ कुरैशी के घर तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	85	8.50	8.50
6	ग्राम पंचायत बिरौली में गोण्डा बहराइच मार्ग से राम सुधार के घर तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य तथा 30र0मी0 यूटाइप ड्रेन का निर्माण कार्य।	200	10.98	10.98
7	ग्राम पंचायत सिसौण्डा में दिनेश के घर से गया प्रसाद शुक्ला के घर तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण।	140	7.61	7.61
8	ग्राम पंचायत सिसौण्डा में शेखर गुप्ता के घर से मंगल शुक्ला के घर तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण।	220	12.16	12.16
9	ग्राम पंचायत अशोकपुर नवल किशोर दीक्षित से बैकुण्ठनाथ के घर तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	270	16.37	15.00
10	ग्राम पंचायत अशोकपुर में स्कूरल से प्रवीण सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	105	6.01	6.01
11	ग्राम पंचायत मथुरा में नाथूराम के घर से 300 मी0 इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य तथा 70 र0मी0 यूटाइप ड्रेन का निर्माण कार्य।	300	18.24	15.00
12	ग्राम पंचायत जुरौण्डा में सूरतगंज महादेवा रोड से अमित सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	50	4.24	4.24
13	ग्राम पंचायत बेल्हरी सरसण्डा में कचनापुर रोड से बड़कऊ के घर तक	250	15.34	15.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	कार्य	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
	इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य।			
14	ग्रा0पं0 फाजिलपुर सरसण्डा में राम प्रताप के घर से भगवान के घर तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	250	15.70	15.00
15	ग्राम पंचायत सेमराय में देव नारायन के घर से विनय के घर तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	50	2.92	2.92
16	मेन रोड से रमेश के घर तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	130	7.19	7.19
17	ग्राम पंचायत सेमराय में सुशील कुमार के घर से जय नारायन के घर तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	50	2.79	2.79
18	ग्राम पंचायत सेमराय में गोलू सिंह के घर से राम कुमार सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	50	3.00	3.00
19	ग्राम पंचायत कोटवाधाम में पूर्व फाटक से उत्तिर फाटक तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	71	4.24	4.24
20	ग्राम पंचायत कोटवाधाम में उत्त्र फाटक से अभरन सरोवर तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	54	2.97	2.97
21	ग्राम पंचायत कोटवाधाम में होली के दर से पूर्व फाटक तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	56	4.64	4.64
22	ग्राम कोटवाधाम में अभरन सरोवर से बसंता बुआ तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	92	8.49	8.49
23	ग्राम पंचायत कोटवाधाम में कोटवाधाम-सनावां मार्ग से अभरन दक्षिण आर0सी0 सी0 सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	100	8.40	8.40
24	ग्राम पंचायत कोटवाधाम में मेला आर0सी0सी0 रोड से बाबा खुटफुट के घर तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	73	4.66	4.66
25	ग्राम पंचायत कोटवाधाम में कोटवाधाम-सनावां मेला रोड से मन्दिर दक्षिण आर0सी0सी0 तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	95	10.89	10.89
26	ग्राम पंचायत कोटवाधाम में सतगुरू के घर से बरदही डामर रोड तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	70	5.41	5.41
27	ग्राम पंचायत बेचू का पुरवा में इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	179	13.54	13.54
28	ग्राम पंचायत प्यारेपुर में अनिल वर्मा के घर से शिव मन्दिर तक इण्टंरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य तथा 30र0मी0 यू0टाइप ड्रेन का निर्माण कार्य।	160	9.98	9.98
29	ग्राम पंचायत कसरैलाडीह में पंकज वर्मा के घर से शारदा सहायक नहर पटरी तक इण्टरलाकिंग मार्ग निर्माण कार्य	242	15.21	15.00
30	अमरादेवी से मरकामऊ सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग	230	13.97	13.97
	योग:	**4119**	**264.70**	**258.84**

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
3. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी।
4. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. कार्यों का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
6. कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
8. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
10. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।
11. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या- 1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
12. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
13. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
16. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2022 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2022 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2022 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
17. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2022 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।
18. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
19. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
20. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
21. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

22. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।
23. प्रयोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 अनुमन्य कर दी गई है। कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
24. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
25. कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी वह 02 माह की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गई धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी एवं वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-116/दस-2021 दिनांकः18 नवम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

संख्याः232/2021/1991(1)/35-4-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, अयोध्या।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी ।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बाराबंकी ।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बाराबंकी ।
13- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, बाराबंकी ।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in